

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 अभियान

राजस्थान-सरकार
खातालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
(दिनांक 30.10.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. :- 463/2025

GCMS NO:- 2025/

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


उत्तवान :- बंशीधर शर्मा बनाम राज0 सरकार

:-आदेश:-

दिनांक :- 30.10.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हत्का ढाणी भालोठ के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि)	आदेश (शुद्धप्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ढाणी भालोठ	33	बंशीलाल पुत्र प्रभुदयाल	बंशीधर शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(पदेन सहायक कलेक्टर एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना)

दिनांक:- 30/10/25

क्र. सं. - राजस्व / 2025 / 889
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. संबंधित श्री बंशीधर शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ढाणी भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(पदेन सहायक कलेक्टर एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना)